

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/24/ १०८३

दिनांक: 15/03/2024

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 20.01.2024 द्वारा श्रीमती गगनदीप कौर, पार्षद वार्ड संख्या 36 को नगर परिषद श्रीगंगानगर के सभापति पद के कार्यभार हेतु 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिय अधिकृत किया गया था।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) (i) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती गगनदीप कौर, पार्षद वार्ड संख्या 36 को नगर परिषद श्रीगंगानगर के सभापति पद का कार्यभार पूर्व आदेशों की निरन्तरता में आगामी 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 15/03/2024

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/24/ १०८४ - १०८५

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर/जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
- निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
- उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
- उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर।
- आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर।
- प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
- सुरक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव